**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1621**

**सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)**

**श्रमिकों को ईपीएस-95 के लाभ**

**1621. श्री राजेश वर्माः**
**श्री नरेश गणपत म्हस्के:**
**श्रीमती शांभवीः**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
**श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कुल पेंशनभोगियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ईपीएस-95 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में योजना के योगदान का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पेंशन भुगतान में देरी का विसंगतियों के संबंध में ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए सरकार द्वारा परेशानी-मुक्त शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पेंशन सुरक्षा की पहुंच का विस्तार करने के लिए गिग श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ईपीएस-95 लाभ देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ते, स्वास्थ्य लाभ और पूर्ण पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग का पुनर्मूल्यांकन करने और उसका समाधान करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ङ): वर्ष 2019 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत वर्तमान में लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की कुल संख्या का विवरण देने वाली तालिका नीचे दी गई है:

| वर्ष | ईपीएस-95 के तहत कुल पेंशनभोगी |
|---|---|
| 2019-20 | 6682717 |
| 2020-21 | 6919823 |
| 2021-22 | 7273898 |
| 2022-23 | 7558913 |
| 2023-24 | 7849338 |

जारी..2/-

ईपीएस आकस्मिकताओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए व्यापक लाभ प्रदान करता है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है। ईपीएस के अंतर्गत उपलब्ध पेंशन और निकासी लाभों की विभिन्न श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

i. 58 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता पर सदस्य पेंशन।
ii. 50 वर्ष की आयु से आरंभिक सदस्य पेंशन।
iii. सेवा के दौरान स्थायी और पूर्ण निः.शक्तता पर विकलांगता पेंशन।
iv. सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन।
v. सदस्य की मृत्यु होने पर 2 बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक एक बार में बाल पेंशन।
vi. यदि परिवार में कोई पति/पत्नी न हो या पति/पत्नी की मृत्यु हो जाए तो सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाएगी।
vii. विकलांग बच्चे/अनाथ के पूरे जीवन के लिए विकलांग बच्चे / अनाथ पेंशन।
viii. ईपीएस, 1995 के अंतर्गत यथा परिभाषित परिवार न होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु पर नॉमिनी पेंशन और सदस्य द्वारा विधिवत नामित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाएगा।
ix. किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नॉमिनी न हो।
x. सेवा से बाहर निकलने या अधिवर्षिता पर आहरण लाभ बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान नहीं की हो।

केंद्र सरकार ने मौजूदा 9 केंद्रीय अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को समामेलित, सरल और तर्कसंगत बनाने के बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड) तैयार की है। उक्त संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को ईएसआईसी अथवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

ईपीएफओ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विभिन्न शिकायत निवारण तंत्र तैयार किए हैं, जिसमें पेंशनभोगी ईपीएफओ में संबंधित प्राधिकारी के साथ अपनी समस्याएं/शिकायतें दर्ज कर सकते हैं

लाभार्थी सीपीजीआरएएमएस, ईपीएफआईजीएमएस, उमंग ऐप जैसे पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

शिकायतों को डाक के रूप में ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से भेजा जा सकता है और संबंधित कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से जाकर भी दिया जा सकता है। शिकायतों की विधिवत पावती दी जाती है और उन प्रावधानों/नियमों के अनुसार समाधान किया जाता है जिनके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विभाग ने 'निधि आपके निकट' की शुरूआत के माध्यम से जमीनी स्तर पर पहुंच शुरू की है जिसके द्वारा कामगारों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू की है जो पेंशनभोगियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेशों (पीपीओ) के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना ही देश में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन का उपयोग निर्बाध रूप से करने की अनुमति देती है, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या अपना बैंक या शाखा बदलता है।

*****